में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुद्रा के मूल्य में गिरावट 1982—100 के आधार सहित औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पारस्परिक विभिन्नता के रूप में स्थापित नीचे सूचित की गई है:

वर्ष	रुपये का मूल्य (पैसे)
1992	42.18
1993	39.66
1994	35.92
1995	34.36*

* सूचना फरवरी माह के लिए है, यह अन्तिम महीना है जिसके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक कामगारों के लिए वर्तमान समय में उपलब्ध है।

(ख) किसी भी समय के बिन्दु पर रुपये के मूल्य का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं की प्रमात्रा से है जो कि इसे खरीद सकती है जिसे आगे चलकर सामान्य मूल्य स्तर में घट-बढ़ द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(ग) कीमतों में वृद्धि को नियंत्रण में रखे जाने की आवश्यकता के बारे में सरकार सतर्क रहती है और यह सुनिश्चित किए जाने के लिए कि मुद्रास्फीतिकारी दबाव नियंत्रण में है, अनेक उपाय किये गये हैं। किए गए कुछ उपाए हैं:—

(i) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुली बाजार बिक्री के माध्यम से सार्वजनिक भण्डारों से खाद्यान्न की निर्गुमित।

(ii) चीनी के आयात को शून्य शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस पर रखना।

(iii) चीनी का शून्य शुल्क पर आयात करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(iv) वर्ष 1994-95 के दौरान खुले सामान्य लाइसेंस के तहत पामोलीन तेल के आयात की अनुमति देना।

(v) वर्ष 1994-95 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने के लिए 1.07 लाख टन पामोलिन तेल का आयात करना।

(vi) मार्च, 1995 से 30 प्रतिशत के घटे शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत प्रमुख खाद्य तेलों के आयात की अनुमति देना।

(vii) शून्य शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत दाल के आयात की अनुमति देना।

(viii) वर्ष सरकारी हुंडियों के निर्गम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से केन्द्र सरकार के ऋण लेने पर नियंत्रण लगाना तथा अनुसूचित चलनिधि अनुपात में वृद्धि करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करने सहित कई उपायों के जरिए मौद्रिक अभिवृद्धि को नियंत्रित करना

(ix) 1995-96 के बजट में उत्पाद एवं सीमा शुल्क में इस तरह की कमी करना जिससे मुद्रास्फीति घट सके।

उपदान (ग्रेच्युटी) की राशि पर लगाया गया आयकर

5310 श्री गोविन्दराव आदिक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अहमदनगर जिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक फेडरेशन और अन्य संगठनों ने अनुरोध किया है कि कर्मचारियों को दी जाने वाली उपदान की राशि पर आयकर नहीं लगाया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, हां।

(ख) उनके प्रत्यावेदन में कर्मचारियों को ग्रेच्युटी निधि के भुगतान के संबंध में पूरी छूट देने का अनुरोध किया गया है।

(ग) इस समय आयकर अधिनियम के अंतर्गत सेवा के प्रत्येक पूरे किये गये वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन तक ग्रेच्युटी में कर छूट रखी गई है परन्तु इसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है। यह सीमायें सरकारी कर्मचारियों और सहकारी क्षेत्र के कर्मचारियों सहित दूसरे कर्मचारियों के बीच समानता रखने के लिए निर्धारित की गई हैं। ग्रेच्युटी भुगतान पर पूर्ण छूट देने की स्थिति में दुरूपयोग की संभावनाएं हैं।

एम॰ एस॰ शूज ईस्ट लिमिटेड का सार्वजनिक निर्गम

5311. **श्री जी॰ वाई॰ कृष्णन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश मर्चेन्ट बैंकरों ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) पर हाल के एम॰ एस॰ शूज लिमिटेड के सार्वजनिक निर्गम, जो कि न्यागत हो गया है, के मामले में पूरी मनमानी करने का आरोप लगाया है जैसाकि हाल ही में कुछ अखबारों में समाचार प्रकाशित हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विगत में सेबी को विभिन्न अन्य कम्पनियों के हेराफेरी वाले निर्गमों के संबंध में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

लेकिन उन पर कभी कोई कार्यवाही नहीं की गई; ऐसा क्यों किया गया, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान, जब सभी प्रकार के संदिग्ध सार्वजनिक निर्गम बाजार में आए हैं तब सेबी ऐसी सुस्पष्ट धोखाधड़ी वाले एक भी मामले को न पकड़पाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सेबी ने अंतरंगी लेन-देन जोकि आर्थिक सुधारों संबंधी उदारीकरण के लागू होने के बाद बाजार में आने वाले प्रीमियम वाले लगभग प्रत्येक निर्गम के संबंध में अत्यधिक प्रचलित है, के लिए गत चार वर्षों से आज तक एक भी मर्चेन्ट बैंकर को काली सूची में न डालने अथवा किसी प्रवर्तक के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Shapes and sizes of various coins

5312. **SHRI KRISHAN KUMAR BIRLA:** Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government contemplate any steps to rationalise the shapes and sizes of various coins and currency to remove confusion;

(b) if so, whether a large number of complaints/representations also received in this regard;

(c) if so, the details thereof; and

(d) by when the new coins would be brought out?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) to (d) The Government is considering a proposal for replacement of existing currency/bank notes by an altogether new design of notes. Based on some complaints received from public as well as suggestion made by RBI, proposal for changing shape and size of some coins is also under examination.

Shortage of Non-Judicial Stamp Papers

5313. **SHRI SURESH PACHOURI:** Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Govt.'s attention has been drawn to large scale complaints of shortage and black-marketing of small denomination non-judicial stamp papers;

(b) if so, what action has been taken to ensure adequate supply of these stamp papers as the same are required by public for various purposes on a day to day basis;

(c) whether Government would consider vending these stamp papers through Post Offices just like share transfer stamps; and

(d) if so, by when; and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V CHANDRASHEKARA MURTHY): (a The shortage of Non-judicial stamp papers is due to production capacit constraints of the security Printin Presses and also abnormal increase in th demand during the recent years.